अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
साकेत नगर, भोपाल-462 020, मध्य प्रदेश, दूरभाष : 0755-2982607/2985569
All India Institute of Medical Sciences, Bhopal
(An Institute of National Importance under the Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)
Saket Nagar, Bhopal - 462020, Madhya Pradesh, Tel. : 0755-2982607/2985569
Email : info@aiimsbhopal.edu.in www.aiimsbhopal.edu.in

क्र. 11/06/2021-प्रशा./एम्स/भोपाल/2146 दिनांक: 20/05/2023

प्रति,

निदेशक (राजभाषा)
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

विषय: एम्स, भोपाल की 18.04.2023 को आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

महोदय,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 18.04.2023 को संपन्न तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ प्रेषित हैं।

संलग्न: कार्यवृत्त की प्रति।

भवदीय

मयंक

(मयंक कपूर)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
सदस्य सचिव वि.रा.का.स.
एम्स भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के समस्त सदस्य, एम्स भोपाल।
2. उप निदेशक (प्रशासन), एम्स भोपाल।
3. प्रभारी आई.टी अनुभाग - संस्थान के समस्त विभागाध्यक्षों/अनुभाग प्रमुखों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित करने हेतु कि कृपया कार्यवृत्त की संबंधित मदों पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
4. कार्यपालक निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव (कार्यवाहक), एम्स भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.) 462020

Saket Nagar, Bhopal (M.P.) – 462020

(राजभाषा अनुभाग)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल की दिनांक 18.04.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 18.04.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रो. (डॉ.) अजय सिंह, कार्यपालक निदेशक, एम्स भोपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया: –

1.	प्रो. (डॉ.) अजय सिंह	-	अध्यक्ष
2.	कर्नल (डॉ.) अजीत कुमार	-	उपाध्यक्ष
3.	श्री मयंक कपूर	-	सदस्य सचिव
4.	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	-	सदस्य
5.	डॉ. संतोष एल वाकोड़े	-	सदस्य
6.	डॉ. रूपिंदर कौर कंवर	-	सदस्य
7.	डॉ. पंकज गोयल	-	सदस्य
8.	डॉ. बर्था ए.डी. रथिनम	-	सदस्य
9.	डॉ. मनमोहन पटेल	-	सदस्य
10.	डॉ. राजेय एन. भारशंकर	-	सदस्य
11.	डॉ. वैशाली वाल्के	-	सदस्य
12.	डॉ. सूर्या बाली	-	सदस्य
13.	डॉ. गौरव चतुर्वेदी	-	नामित सदस्य
14.	डॉ. गणकल्याण बेहरा	-	नामित सदस्य
15.	डॉ. स्नेहिल गुप्ता	-	नामित सदस्य
16.	डॉ. दानिश जावेद	-	सदस्य
17.	श्री अमित शर्मा	-	सदस्य
18.	श्री त्रिवेश गोस्वामी	-	सदस्य
19.	श्री अक्षवंत नंदकुमार पानसरे	-	सदस्य
20.	श्रीमती वंदना कुशवाहा	-	सदस्य
21.	श्री मुकेश नागर	-	सदस्य
22.	श्री जयकुमार ऐन	-	नामित सदस्य
23.	श्री अमन कुमार मेहता	-	सदस्य
24.	श्री हेमंत कुमार जायसवाल	-	सदस्य
25.	श्री कृष्णा साव	-	सदस्य
26.	श्री शिवम शर्मा	-	सदस्य
27.	श्री प्रदीप कुमार नारोलिया	-	सदस्य
28.	श्री अनुराग	-	नामित सदस्य

****

उल्लेखनीय है कि डॉ. जे. लक्ष्मीप्रसाद के स्थान पर श्री जयकुमार ऐन, डॉ. विजेंद्र सिंह के स्थान पर डॉ. स्नेहिल गुप्ता, डॉ. मनाल मोहम्मद खान के स्थान पर डॉ. गौरव चतुर्वेदी, डॉ. विकास गुप्ता के स्थान पर डॉ. गणकल्याण एवं प्रभारी पुस्तकालयाध्यक्ष के स्थान पर श्री अनुराग बैठक में शामिल हुए। समिति के अन्य सदस्य अवकाश / अपरिहार्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके ।

बैठक के प्रारंभ में वि.रा.का.स. के अध्यक्ष, प्रो. (डॉ.) अजय सिंह, कार्यपालक निदेशक एवं सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सचिव वि.रा.का.स. द्वारा अध्यक्षीय अनुमति के उपरांत बैठक की निर्धारित कार्यसूची पर चर्चा प्रारंभ की गई । चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

कार्यसूची सं.- 01 <u>गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :</u>

गत बैठक के कार्यवृत्त पर सदस्यों की ओर से कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होने की जानकारी बैठक में दिए जाने के बाद अध्यक्ष वि.रा.का.स. की स्वीकृति से दिनांक 22.12.2022 को संपन्न विभागीय राजभाषा कार्यान्वियन समिति की तिमाही बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

कार्यसूची सं. 02 <u>गत बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन रिपोर्टः</u>

गत बैठक में लिए गए निर्णयों की संक्षिप्त अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सलाहकार (राजभाषा) ने बताया कि पिछली बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ।

कार्यसूची सं. 03 <u>संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति के राजभाषा निरीक्षण पर चर्चाः</u>

सर्वप्रथम वि.रा.का.स के सदस्य सचिव द्वारा संसदीय राजभाषा समिति की ओर से संस्थान को प्राप्त अर्ध-शासकीय पत्र सं. 11012/10/2022-समिति-3 दिनांक 17.01.2023 का वाचन किया गया एवं पत्र में निहित भावनाओं से अध्यक्ष वि.रा.का.स. एवं समिति सदस्यों को अवगत कराया गया । तत्पश्चात सदस्य सचिव द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के दिनांक 17.01.2023 के पत्र में ध्यान देने योग्य बातों पर बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत करते हुए सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(i) सदस्य सचिव, वि.रा.का.स. द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान के हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को हिंदी में प्रवीणता दिलाने के लिए हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से संस्थान के समस्त प्रवीणता /कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। अतः संस्थान के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र राजभाषा अनुभाग को ऑनलाइन भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ स्टाफ को यह जानकारी राजभाषा अनुभाग को ऑनलाइन प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें। अध्यक्ष विराकास द्वारा सभी विभागों से उक्त जानकारी एक निर्धारित समयावधि के अंदर प्राप्त करने के निर्देश दिए गए ।

(कार्रवाईःसमस्त विभागाध्यक्ष/राजभाषा अनुभाग)

(ii) संस्थान में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी कार्मिकों द्वारा अपना शत-प्रतिशत सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में किए जाने संबंधी मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष वि.रा.का.स. ने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी कार्मिकों को अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के निर्देश दिए । **(कार्रवाईः राजभाषा अनुभाग)**

(iii) संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशानुसार 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है। अतः संस्थान के सभी विभागों में इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । **(कार्रवाईः समस्त विभागाध्यक्ष)**

(iv) एम्स भोपाल 'क'-क्षेत्र में स्थित है । अतः संस्थान की ओर से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों के साथ मूल पत्राचार शत-प्रतिशत (100%) हिंदी में किया जाना अपेक्षित है। अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा सभी सदस्यों को मूल पत्राचार राजभाषा हिंदी में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ।

(कार्रवाईः सभी विभागाध्यक्ष)

(v) अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा कंप्यूटर पर हिंदी कार्य के प्रतिशत में वृद्धि हेतु कंप्यूटर पर अधिक से अधिक कार्य हिंदी में संपन्न करने के निर्देश दिए गए । **(कार्रवाईः समस्त विभाग/अनुभाग)**

कार्य सूची सं. 04 संस्थान के कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को हिंदी में प्रवीणता हेतु प्रशिक्षणः

अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त /कार्यसाधक ज्ञान संबंधी जानकारी, ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से तत्काल राजभाषा प्रकोष्ठ को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित विभाग से जानकारी भेजने की पुष्टि करने तथा अद्यतन जानकारी से अध्यक्ष वि.रा.का.स. को अवगत कराने के निर्देश दिए गए । **(कार्रवाईः राजभाषा अनुभाग)**

कार्य सूची सं. 05 राजभाषा सम्मेलन/समारोह का आयोजनः

संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशानुसार कार्यालय स्तर पर राजभाषा सम्मेलन/समारोह का आयोजन किए जाने संबंधी मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा संस्थान स्तर पर समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए गए ।

डॉ. सूर्या बाली, अपर प्राध्यापक द्वारा सुझाव दिया गया कि एम्स भोपाल में हिंदी व अन्य भाषाओं के साहित्यकार एवं विद्वान कार्यरत हैं तथा बाहर से प्रसिद्ध साहित्यकार/कवियों को आमंत्रित कर संस्थान में राजभाषा सम्मेलन/समारोह का आयोजन किया जा सकता है। अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा राजभाषा सम्मेलन/समारोह की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए। **(कार्रवाईः राजभाषा अनुभाग)**

कार्यसूची सं. 06 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति सेः

1. सलाहकार राजभाषा द्वारा अध्यक्ष , विराकास को जानकारी दी गई कि संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशानुसार संस्थान में रिक्त हिंदी पदों को भरने एवं एम्स, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप एम्स, भोपाल में हिंदी पदों के सृजन हेतु आवश्यक कार्रवाई भर्ती प्रकोष्ठ में प्रक्रियाधीन है।

2. अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा निर्देश दिए गए कि संस्थान के समस्त विभागाध्यक्षों से उनके विभागों से जुड़े विभिन्न विषयों की हिंदी पुस्तकों की सूची प्राप्त की जाए, ताकि संस्थान के पुस्तकालय में चिकित्सा शिक्षा के महत्वपूर्ण विषयों की हिंदी पुस्तकें उपलब्ध हो सकें। अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा संस्थान में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी पुस्तकों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ।
(कार्रवाईः समस्त विभागाध्यक्ष एवं केंद्रीय पुस्तकालय)

3. **राजभाषा गृह-पत्रिका के प्रकाशन पर चर्चाः**

   अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा गृह-पत्रिका में संस्थान के छात्र-छात्राओं के लेख/रचनाएं शामिल करने तथा पत्रिका का वर्ष में दो बार प्रकाशन किए जाने के निर्देश दिए गए । अध्यक्ष वि.रा.का.स. ने पत्रिका के एक अंक में संस्थान के स्टॉफ तथा अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लेख/रचनाएं आदि शामिल करने तथा दूसरे अंक में संस्थान द्वारा हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां और अन्य उपयोगी जानकारी प्रकाशित करने का सुझाव दिया । **(कार्रवाईः राजभाषा अनुभाग)**

4. अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा निर्देश दिए गए कि संस्थान के सभी विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्य में वृद्धि हेतु विभाग प्रमुखों को शामिल करते हुए अलग- अलग उप-समिति गठित की जाए। यह उप-समिति अपने-अपने विभागों में हिंदी कार्य की प्रगति पर निगरानी रखते हुए हिंदी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि हेतु समुचित प्रयास सुनिश्चित करेगी ।

(कार्रवाईः समस्त विभागाध्यक्ष/राजभाषा अनुभाग)

5. अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा संस्थान में विभिन्न समारोहों /सम्मेलनों के दौरान बैनर आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित करने एवं विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों के दौरान भी बैनर प्रदर्शित किए जाने के निर्देश दिए गए । अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा डॉ. पंकज गोयल, प्राध्यापक दंत चिकित्सा विभाग को उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु समन्वय का कार्य सौंपा गया ।

(कार्रवाईः समस्त विभागाध्यक्ष/राजभाषा अनुभाग)

6 . अध्यक्ष वि.रा.का.स. ने संस्थान की ओर से अन्य कार्यालयों को प्रेषित किए जाने वाले अंग्रेजी पत्रों के साथ हिंदी आवरण पत्र संलग्न करने संबंधी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष वि.रा.का.स. द्वारा निर्देश दिए गए कि जिन विभागों में आवरण पत्र का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ,उन विभागों की सूची तैयार कर, अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाए ।

(कार्रवाईः समस्त विभागाध्यक्ष/राजभाषा अनुभाग)

अध्यक्ष वि.रा.का.स. ने समस्त विभागाध्यक्षों/सदस्यों को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण के उपरांत संस्थान को प्रेषित विभिन्न बिंदुओं पर त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा उक्त बिंदुओं की अनुपालन रिपोर्ट यथासमय मंत्रालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए।

अंत मे सलाहकार (राजभाषा) द्वारा आहुत बैठक में अध्यक्ष वि.रा.का.स. एवं उपाध्यक्ष तथा सम्मिलित सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए प्रशासनिक अनुमति से बैठक संपन्न हुई ।

(मयंक कपूर)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
सदस्य सचिव वि.रा.का.स.
एम्स भोपाल

प्रो. (डॉ.) अजय सिंह
कार्यपालक निदेशक एवं
अध्यक्ष वि.रा.का.स.
एम्स भोपाल